

## राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर।

क्रमांक - 51(1) कार्मिक/नि.चि./31/06/1548

दिनांक - 5/8/06

### कार्यालय-आदेश

राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड चिकित्सा विनियम 1970 के अन्तर्गत हाऊसिंग बोर्ड कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करते हुये निम्नलिखित चिकित्सालयों को मण्डल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के साथ चिकित्सा उपयोग हेतु मान्यता दी जाती है। निम्न चिकित्सालयों द्वारा इन्डोर पेशेंट पर 10 प्रतिशत तथा जॉबों पर 20 प्रतिशत की छूट देय होगी।


1. लाइफ लाईन डेन्टल केयर क्लीनिक, 12 लखारोई मार्केट, अजमेर रोड, जयपुर
2. खण्डाका हॉस्पिटल, 160-161 कैलाशपुरी, टॉक रोड, जयपुर
3. राजस्थान आई सेन्टर एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन, गोपालपुरा जाई पास, जयपुर
4. मानसरोवर हॉस्पिटल एण्ड मेटरनिटी सेन्टर, 111/196 विजय पथ चौराहा, अग्रवाल फार्म, मानसरोवर, जयपुर
5. आनन्द आई हॉस्पिटल, 21 भारत माता पथ, जमनालाल वजाज मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर
6. राम अवतार आई हॉस्पिटल एण्ड ग्लूकामा पब्लिसियन, सी-17 भगत सिंह मार्ग, तिलक नगर, जयपुर

उक्त आदेश को अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है तथा मंडल के निर्णय की पूर्व अपेक्षा में जारी किया जाता है।

  
सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख निजी सचिव-अध्यक्ष/आवा.आयुक्त/मुख्य अभियंता राज0आ0मण्डल, जयपुर।
2. 00नि0स0-सचिव/वि0स0 एवं मुख्य लेखाधिकारी, राज0आ0मण्डल, जयपुर।
3. आ00 मुख्य अभियंता ..... राज0आ0मण्डल, जयपुर/जोधपुर।
4. उच्च आवासन आयुक्त वृत्त ..... राज0आ0म0 .....।
5. आवासीय अभियंता ख ..... राज0आ0म0 .....।
6. संघनित हॉस्पिटल .....।
7. सभसा प्रकोष्ठ मुख्यालय ..... राज0आ0मण्डल, जयपुर।
8. नार्डिन बोर्ड / रक्षित पत्रावली

  
सचिव